

पुलिस

दिनांक 30.03.2025

प्रेस नोट

थाना अमरिया

थाना अमरिया पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 357 ग्राम अवैध चरस के साथ किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत के कुशल निर्देशन में अपराध/अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अवैध मादक पदार्थ के क्रय/विक्रय की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 30.03.2025 को थाना सुनगढ़ी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त मो0 अंजूम पुत्र अब्दुल हमीद उम्र करीब 44 वर्ष निवासी ग्राम कैचूटाण्डा थाना अमिरया जनपद पीलीभीत को 357 ग्राम अवैध चरस के साथ ग्राम कैंचूटांडा रोड पर बन्द ईट भट्टे के बने मकान के पास चकरोड से गिरफ्तार कर थाना अमिरया पर मु0अ0सं0 84/2025 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

मो0 अंजूम पुत्र अब्दुल हमीद उम्र करीब 44 वर्ष निवासी ग्राम कैचूटाण्डा थाना अमरिया जनपद पीलीभीत

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

- 1. मु0अ0सं0 0427/2013 धारा 279, 304ए, 427 भादवि थाना अमरिया, पीलीभीत
- 2. मु0अ0सं0 0230/2020 धारा 3, 25 आयुद्ध अधिनियम थाना अमरिया, पीलीभीत
- 3. मु0अ0सं0 1075/2020 धारा 135 विद्युत अधिनियम एंटी पावर थेफ्ट थाना पीलीभीत
- 4. मु0अ0सं0 0232/2022 धारा 3, 25 आयुद्ध अधिनियम थाना अमरिया, पीलीभीत
- 5. मु0अ0सं0 0084/2020 धारा 8, 20 NDPS ACT थाना अमरिया, पीलीभीत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1. उ0नि0 ज्ञानेश्वर कुमार
- 2. हे0का0 अनिल कुमार
- 3. का0 अजय राजौरा
- 4. का0 मोहित पुंडिर
- 5. का0 अंकुर